प्रिय साथियों,

मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

AILRSA, दक्षिण रेलवे और उसके सदस्यों ने 1 जून 2024 से 16 घंटे का मुख्यालय विश्राम (HQ Rest) + 30 घंटे का आवधिक विश्राम (Periodic Rest – PR), अर्थात कुल 46 घंटे का विश्राम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निर्णय लिया था।

लगभग 1,500 लोको पायलटों (LP) और सहायक लोको पायलटों (ALP) ने 1 जून से 28 जून 2024 तक ड्यूटी पर उपस्थित न होकर, हड़ताल में भाग लेने के समान तरीके से, अपने 16+30 घंटे के विश्राम के अधिकार को बलपूर्वक लागू करवाया।

इसके परिणामस्वरूप लगभग 800 LP/ALP को अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें निलंबन, दूसरे लॉबी में स्थानांतरण तथा 36 महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने से लेकर प्रिविलेज पास रोकने तक की सजाएँ शामिल थीं।

इन साथियों ने अपने 16+30 घंटे के विश्राम के अधिकार को स्थापित करने के संघर्ष में प्रशासन के उत्पीड़न और प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों का बहादुरी से सामना किया। उन्होंने इन सजाओं को भी अपने अधिकारों की लड़ाई में सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया।

इस संघर्ष के दौरान रेलवे प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ। RRB CEN 01/2024 के अंतर्गत पहले अधिसूचित 5,800 ALP रिक्तियों को बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। अर्थात 13,000 अतिरिक्त रिक्तियाँ जोड़ी गईं। इसके अलावा, रेलवे भर्ती बोर्डों (RRBs) के माध्यम से प्रतिवर्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी जारी किए गए।

इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2025 और 2026 में क्रमशः CEN 01/2025 और CEN 01/2026 के तहत ALP भर्ती अधिसूचनाएँ जारी की गईं।

CEN 01/2026 में प्रारंभ में 11,127 ALP रिक्तियाँ अधिसूचित की गई थीं। बाद में 10.11.2026 को इन रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 14,627 कर दी गई। अर्थात लगभग 3,500 अतिरिक्त पद जोड़े गए।

1 जून से 28 जून 2024 तक चला 28 दिनों का संघर्ष, जिसमें रनिंग स्टाफ ने ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर 16+30 घंटे का विश्राम बलपूर्वक प्राप्त किया, तथा अन्य जोनल रेलवे में आयोजित एकजुटता प्रदर्शनों ने हमारी समस्याओं को प्रशासन के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके साथ ही, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी का हस्तक्षेप तथा सांसद श्री जॉन ब्रिटास का समय पर हस्तक्षेप भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों के 13 अन्य

सांसदों के साथ उन्होंने 28 जून 2024 को रेल मंत्री से मुलाकात की और आवधिक विश्राम (PR) से संबंधित हमारी शिकायतों के मूल मुद्दों को विस्तार से समझाया।

इन सभी सामूहिक प्रयासों ने पर्याप्त संख्या में रनिंग स्टाफ की भर्ती के निर्णय का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि लोको रनिंग स्टाफ पर पड़ने वाले कार्यभार को कम किया जा सके।

वर्तमान में रनिंग स्टाफ को नियमित साप्ताहिक विश्राम, छुट्टी और चिकित्सा अवकाश से वंचित किया जाता है तथा विशेष रूप से मालगाड़ियों के संचालन में उनसे असीमित कार्य घंटे करवाए जाते हैं।

इन संघर्षों के परिणामस्वरूप कुछ अन्य सुधार भी हुए:

- रनिंग रूम और लोकोमोटिव केबिनों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

- कम से कम 30 घंटे का आवधिक विश्राम (PR) नियमित रूप से रनिंग स्टाफ को देने का आदेश जारी किया गया।

एक जोनल रेलवे के रनिंग स्टाफ द्वारा किए गए मात्र 28 दिनों के संघर्ष ने इतने महत्वपूर्ण बदलाव लाकर दिखाए।

जरा कल्पना कीजिए कि यदि इसी प्रकार के संघर्ष सभी जोनल रेलवे में एक साथ और संगठित रूप से किए जाएँ, तो हमारी कार्य परिस्थितियों में कितने बड़े सुधार संभव हो सकते हैं!

ऐसे एकजुट संघर्ष का परिणाम निम्नलिखित उपलब्धियों के रूप में सामने आ सकता है:

1. उचित साप्ताहिक विश्राम:

16 घंटे का मुख्यालय विश्राम (HQ Rest) और 30 घंटे का आवधिक विश्राम (PR) मिलाकर कुल 46 घंटे का लगातार विश्राम सुनिश्चित करना।

2. लगातार रात्रि ड्यूटी में कमी:

लगातार चार रात्रि ड्यूटी को घटाकर दो रात्रि ड्यूटी करना।

3. समय पर घर वापसी:

रनिंग स्टाफ का मुख्यालय से बाहर रहने के 36 घंटे के भीतर वापस घर लौटना सुनिश्चित करना।

4. लगातार ड्यूटी के घंटों पर प्रतिबंध:

मालगाड़ियों के लिए लगातार ड्यूटी के घंटों को 8 घंटे तथा यात्री और कोचिंग ट्रेनों के लिए 6 घंटे तक सीमित करना।

5. पर्याप्त अवकाश की उपलब्धता:

अतिरिक्त ALP और LP की भर्ती के माध्यम से छुट्टी देने पर लगाए गए प्रतिबंधों और बाधाओं को कम करना।

हालाँकि, संघर्ष कभी भी चुनौतियों से मुक्त नहीं होते। इसके लिए हमें निलंबन, स्थानांतरण, पदावनति और वेतन में कटौती जैसी प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों का साहसपूर्वक सामना करना पड़ता है।

फिर भी, हमारे पास भारतीय रेलवे में एक नए युग का निर्माण करने की ताकत है, जहाँ रनिंग स्टाफ सम्मान के साथ काम कर सके, अपने अधिकारों के अनुसार विश्राम प्राप्त कर सके और अपने परिवार के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी सके।

10 दिसंबर 2026 से अपनी पाँच सूत्रीय मांगों के चार्टर (Five-Point Charter of Demands) को प्राप्त करने और लागू करवाने के संघर्ष के लिए तैयार रहें।

नवंबर 2026 में आगरा में आयोजित होने वाली CWC बैठक में हमें एक दृढ़ और सामूहिक निर्णय लेना होगा।

लाल सलाम!

L. Mony